ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 636.10 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित करों, ब्याज एवं पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, आबकारी शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित ''रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब'' तथा ''मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों'' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और अन्य अभ्युक्तियों सहित 18 अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय – 1

सामान्य

वर्ष 2012-13 हेतु राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 30,557.59 करोड़ की तुलना में ₹ 33,633.53 करोड़ थी। इनमें से 84 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 23,559.00 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,673.15 करोड़) के माध्यम से उगाहा गया था। शेष 16 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 3,062.13 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹ 2,339.25 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया था। गत वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,075.94 करोड़ तक वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर, अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के 265 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 7,508 मामलों में कुल ₹ 1,735.68 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष 2012-13 के दौरान विभागों ने 2,285 मामलों में ₹ 19.19 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 207 मामलों में ₹ 1.36 करोड़ वसूल किए।

(अनुच्छेद 1.11.1)

2. अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

''**रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब**'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

अपील मामलों की संख्या 2,993 से 3,399 तक बढ़ गई जबकि रिमांड मामले 717 से 1,507 तक बढ़ गए।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.8.3)

रिमांड मामलों को फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 33 मामलों में ₹ 3.20 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ और एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत ₹ 3.91 करोड़ के 34 मामलों के फाइनल करने में 20 से 42 माह तक विलंब था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4 तथा 2.2.8.5)

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों को समय के अंदर, फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 198 मामलों में ₹ 20.10 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 6.33 करोड़ की राशि के समय बाधित 83 मामले विलंब से फाइनल हुए।

{(अनुच्छेद 2.2.8.6 (i) तथा (ii)}

छियत्तर रिमांड मामले अब भी लंबित पड़े थे परिणामस्वरूप ₹ 19.86 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 3.54 करोड़ के कर वाले 78 रिमांड मामले एक से 53 महीनों के बीच विलंब के बाद फाइनल किए गए थे।

{(अनुच्छेद 2.2.8.7 (i) तथा (ii)}

संपादन लेखापरीक्षा

133 डीलरों के संबंध में अवर्गीकृत मदों के संबंध में कर की गलत दर के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 89.39 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.1.1)

बिक्रियों के छिपाव/आई.टी.सी. के झूठे दावों के 14 मामलों में यद्यपि विभाग ने उपयुक्त कर उद्गृहीत किए किंतु ₹ 440.76 करोड़ की राशि की अनिवार्य पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 2.4.1)

निर्माण में उपयोग की गई तथा रिटर्नों में न दर्शाई गई सामग्री का सत्यापन करने में ए.एज की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ की राशि के वैट का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 11.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.4.5.1)

3. अध्याय - 3

राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने एक से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी 119 चूककर्ता लाइसैंसधारियों से लाइसैंस फीस वसूल करने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की लाइसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.1.1)

अनुबंध शर्तों की जोखिम एवं लागत धारा पर बिक्रियों की पुन: नीलामी के पश्चात् सरकार को ₹ 1.45 करोड़ के राजस्व से वंचित रखते हुए विभाग ने, रिटेल लिकर आऊटलैटस के 11 चूककर्ता आबंटियों से लाइसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

{(अनुच्छेद 3.2.3 (ख)}

2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों हेतु 130 लाइसैंसधारियों से लाइसैंस फीस की मासिक किस्त के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹ 96.89 लाख की कम वसूली हुई।

{(अनुच्छेद 3.2.3 (ग)}

4. अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

पंजीकरण प्राधिकारियों ने 228 अनुबंधों में बिक्री को अनुबंध की बजाय संयुक्त अनुबंधों के रूप में वर्गीकृत किया परिणामस्वरूप ₹ 60.39 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.2)

आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के 134 बिक्री विलेखों पर ₹ 1.95 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

47 मामलों में हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4.1)

5. अध्याय – 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

''**मोटर वाहनों पर करो से प्राप्तियों**'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

569 वाहनों के संबंध में निजी/माल वाहनों से ₹ 35.24 लाख की राशि का टोकन टैक्स वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.11.1 तथा 5.2.11.2)

कैशबुक के अनुचित रख-रखाव तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण ₹ 5.32 लाख का गबन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

242 मामलों में आउटआफ टर्न पंजीकरण नंबरों के आबंटन के संबंध में ₹ 24.20 लाख की अतिरिक्त फीस वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.16)

परिवहन वाहनों के रूप में छः व्यक्तियों से अधिक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए वाहनों का पंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप 35 मामलों में परमिट फीस के अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख के टोकन कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.2.18)

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

विभाग द्वारा 144 सहकारी परिवहन समितियों की बसों के संबंध में ₹ 2.02 करोड़ की राशि के यात्री कर की मांग नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 5.3.1)

6. अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

384 मामलों के राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों का परिगणन न करने से ₹ 90.11 करोड़ की राशि की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.2.3)

पी.एल.आर. अधिनियम की धारा 67 के अनुसार विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप 173 मामलों में ₹ 11.86 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.2.4)

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

69 ईट भट्ठा मालिकों के संबंध में ₹ 14.88 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 6.3)